प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 28 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कय्यूम पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-10576/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.03.2026) दिनांक-23.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कय्यूम पुत्र श्री इब्राहिम, जो अकबरपुर शादत, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ का निवासी है। गलत सम्बंध होने की रंजिश को लेकर बंदी ने दिनांक 05.02.2006 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शराफत व सोनी नामक 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-358/2006, भा०द०वि० की धारा-147, 302/149 में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, मेरठ के आदेश दिनांक 08.01.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.04.2025 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 09 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 05 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने एवं समाज में भय व्याप्त करने की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने, जेल में निरूद्ध रहेगा तो समाज में शांति बनी रहेगी व समाज के लिये हितकारी होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में गलत सम्बंध होने की रंजिश को लेकर बंदी ने दिनांक 05.02.2006 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शराफत व सोनी नामक 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कय्यूम पुत्र श्री इब्राहिम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कय्यूम (बन्दी संख्या-438/2025) पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-मेरठ को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1259/2026/603(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- निजी सचिव,मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1259/2026/603/22-2-2026-17(297)/2026

दिनांक: 28 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कय्यूम पुत्र श्री इब्राहिम, जो अकबरपुर शादत, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ का निवासी है। गलत सम्बंध होने की रंजिश को लेकर बंदी ने दिनांक 05.02.2006 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शराफत व सोनी नामक 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-358/2006, भा०द०वि० की धारा-147, 302/149 में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, मेरठ के आदेश दिनांक 08.01.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.04.2025 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 09 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 05 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने एवं समाज में भय व्याप्त करने की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने, जेल में निरूद्ध रहेगा तो समाज में शांति बनी रहेगी व समाज के लिये हितकारी होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में गलत सम्बंध होने की रंजिश को लेकर बंदी ने दिनांक 05.02.2006 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शराफत व सोनी नामक 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कय्यूम पुत्र श्री इब्राहिम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in